UPPG120018332017

न्यायालय सिविल जज (जू0डि0), लालगंज, प्रतापगढ़।
मूलवाद संख्या–356/2017
दीनानाथ **बनाम** उमाशंकर मिश्र आदि।

दिनांकः 10.08.2022

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। वादी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र 22क2 के निस्तारण हेतु बल दिया।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 22क2:– प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र 22क2 अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व 9 व आदेश 6 नियम 17 जा0दी0 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उपरोक्त वाद की पैरवी वादी मुकदमा/प्रार्थी के पिता दीनानाथ द्वारा की जाती रही। प्रार्थी को मुकदमे की कोई जानकारी पूर्व में नहीं रही। दिनांक 21.09.2021 को प्रार्थी तहसील आया था, तो अफवाहन पता चला कि उसके पिता द्वारा दायर मुकदमा खारिज होने के कगार पर है। प्रार्थी उक्त सम्बंध में जानकारी करते–करते पता चला। जानकारी होने पर अविलंब प्रार्थना पत्र कायम मुकामी दे रहा है। मुकदमा उपरोक्त में वादी मुकदमा दीनानाथ त्रिपाठी की मृत्यु दिनांक 16.11.2020 को हो गयी है। इनके निकटतम उत्राधिकारी इनके तीन पुत्र क्रमशः राधेश्याम त्रिपाठी, राकेश कुमार त्रिपाठी, घनश्याम त्रिपाठी है। जिनमें घनश्याम त्रिपाठी की मृत्यु दीनानाथ त्रिपाठी की मृत्यु के काफी पहले हो चुकी है। घनश्याम त्रिपाठी के उत्तराधिकारी मिथिलेश देवी, अरूण कुमार त्रिपाठी, सूर्य प्रकाश त्रिपाठी, नीरज त्रिपाठी हैं। इनके अतिरिक्त कोई अन्य विधिक उत्तराधिकारी कदापि नहीं है। ऐसी अवस्था में मृतक दीनानाथ के स्थान पर इनको प्रतिस्थापित किया जाना न्यायसंगत व समीचीन है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त की कायम मुकामी एवं वादपत्र में वांछित परिणामिक संशोधन किये जाने की याचना की गयी है।

प्रतिवादीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर आपत्ति 28ग2 प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि प्रश्नगत वादी की मृत्यु दिनांक 16.11.2020 को हुई जब कि प्रार्थना पत्र करीब 10 माह बाद अतिविलंबित रूप से दिया गया है और उसका कोई विलंब का कारण नहीं दर्शित किया गया है। प्रश्नगत प्रार्थना पत्र कायम मोकाम में मृतक दीनानाथ की बहू एवं घनश्याम त्रिपाठी की पत्नी अभी जीवित है। परन्तु उन्हें प्रार्थना पत्र में कायम मुकाम तो किया जा रहा है परन्तु प्रार्थना पत्र में उन्हें व उनके लड़कों को 1/1/1 के क्रम में वादी बनाया गया है जो विधि अनुसार त्रुटिपूर्ण है। ऐसी दशा में प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है।

सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र 22क2 दिनांक 23.09.2021 को उक्त की कायम मुकामी एवं वादपत्र में परिणामिक संशोधन किये जाने के आशय से प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र शपथपत्र से समर्थित है, जो कि मियाद बाहर है। प्रार्थीगण धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का लाभ पाने का अधिकारी हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने से वाद की प्रकृति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपितु न्याय निर्णयन में सहायता होगी। अतः प्रार्थना पत्र 22क2 न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 22क2 स्वीकार किया जाता है। वादी वांछित संशोधन अंदर सप्ताह करे। पत्रावली वास्ते अतिरिक्त लिखित कथन हेतु दिनांक 03.10.2022 को पेश हो।

सिविल जज(जू0डि0)
लालगंज, प्रतापगढ़।

Digitally signed by KUNWAR DIVYADARSHI
Date: 2022.08.10 15:58:23 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court